

## आदेश

उप जिलाधिकारी श्री पूर्णागिरि (टनकपुर) के पत्र संख्या-923 / जे०ए०सिविल / 2020-21 दिनांक: 27 जून, 2020 एवं पत्र संख्या-47 / २०का०-भूमि आवंटन(सं०नि०-आख्या) / 2020-21, दिनांक 23 जनवरी, 2021 तथा प्रभागीय बनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी के पत्रोंक:-1474 / 12-1, दिनांक: 23.12.2020 द्वारा प्रस्तुत आख्या के आधार पर Minutes of the High powered Committee of Uttarakhand State Disaster Management Authority (USDMA) meeting held on 27 August , 2019 के सन्दर्भ संख्या:-180 / UDRP / PMU/HPC 2020/06, दिनांक 04 सितम्बर, 2019 के अनुक्रम में, वर्ल्ड बैंक लो०नि०वि० चम्पावत द्वारा प्रस्तुत परियोजना : गैंडाखाली नं०-01 एवं गैंडाखाली नं०-3 को जोड़ने वाले पुल का निर्माण के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र संख्या:-245 / सात-भू हस्तां० / 2020-21, दिनांक: 15 अक्टूबर, 2020 एवं पत्र संख्या:-1578 / सात-सि०भूमि०हस्तां० / 2020-21, दिनांक: 31 दिसम्बर 2020 के अनुक्रम में, शासनादेश संख्या:-111 / XXVII (7)50(39)-2015/2014 दिनांक: 9 जुलाई, 2015 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, याचक विभाग की सहमति/अनापत्ति के आधार पर, शासनादेश संख्या:-260 / वि० अनु०-3 / 2002, दि० 15.02.2002 में निहित मिन्न शर्तों/प्रतिवन्धों के अधीन, ग्राम-गैंडाखाली नं०-1 के खाता नं०-11 दिगर दरखान के खेत संख्या-60, रकवा 3.7060 हे० मध्ये 0.004 हे० एवं खाता संख्या-12, अन्य बंजर के खेत संख्या-43, रकवा 0.553 हे० मध्ये 0.003 हे०, कुल रकवा 0.007 हे०, तथा ग्राम गैंडाखाली नं०-3 के खाता संख्या-64 रौखड़ के खेत संख्या-01, रकवा 0.379 हे० मध्ये 0.002 हे०, इस प्रकार कुल रकवा 0.009 हे० भूमि ग्राम-गैंडाखाली नं०-1 एवं गैंडाखाली नं०-3 को जोड़ने वाले मार्ग पर पैदल पुल के निर्माण हेतु अधिशासी अभियन्ता, वर्ल्ड बैंक, लोक निर्माण विभाग, चम्पावत के नाम निःशुल्क नामान्तरण/हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः-

- 1- भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।
  - 2- जिस परियोजना के लिये भूमि हस्तान्तरित की जा रही है, वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी हो।
  - 3- हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिये उपयोग की जाये, तो उसके लिये मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
  - 4- यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिये उपयोग में नहीं लायी जाती है, तो वह मूल विभाग में रखते ही निहित हो जायेगी।
  - 5- जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना भूमि हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।
  - 6- जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है, उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।
  - 7- प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा, जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।
  - 8- प्रश्नगत भूमि आवंटन के पूर्व जमीदारी विनाश एवं भू-सुधार अधिनियम की धारा-132 तथा U.P. Tenancy Act,1939 (उ०प्र० काश्तकारी अधिनियम, 1939) की धारा-30 एवं इसके समकक्ष अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
  - 9- इस संबंध में सिविल अपील संख्या:-1132 / 2011(एस०एल०पी) / (सी), संख्या-3109 / 2011, श्री जगपाल सिंह एवं अन्य वनाम पंजाब राज्य एवं अन्य तथा सिविल अपील संख्या:-436 / 2011 / SLP(C) NO.20203 / 2007, झारखण्ड राज्य व अन्य वनाम पाकुर जागरण मंच व अन्य में मात्र सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक: जनवरी, 2011 के निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
  - 10- आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तों बिन्दु संख्या-01 से 09 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की विधि में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।
- उप जिलाधिकारी, श्री पूर्णागिरि (टनकपुर), स्वीकृत भूमि को अधिशासी अभियन्ता, वर्ल्ड बैंक, लोक निर्माण विभाग, चम्पावत के नाम निःशुल्क नामान्तरण एवं हस्तान्तरण कराना सुनिश्चित करेंगे।

हे०/-

(सुरेन्द्र नारायण पाण्डे)  
जिलाधिकारी, चम्पावत।

कार्यालय जिलाधिकारी चम्पावत।

संख्या:-२६६६ / VII-A.L.R.O./सि०भूमि०हस्तां० / World Bank, PWD / टनकपुर / 2020-21, दिनांक: १५ फरवरी, 2021। प्रतिलिपि, निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, उत्तराखण्ड शासन, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
- 2- सचिव, उत्तराखण्ड शासन, राजस्व विभाग, देहरादून।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद् उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4- आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
- 5- अपर जिलाधिकारी/भूलेख अधिकारी, चम्पावत।
- 6- उप जिलाधिकारी, श्री पूर्णागिरि (टनकपुर)।
- 7- अधिशासी अभियन्ता, वर्ल्ड बैंक, लोक निर्माण विभाग, चम्पावत।
- 8- तहसीलदार श्री पूर्णागिरि (टनकपुर) मय पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रेषित कि, कृपया स्वीकृत भूमि का, याचक विभाग के नाम नियमानुसार भू-अभिलेखों में निःशुल्क नामान्तरण एवं हस्तान्तरण की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

Received

१५.१.२०२१  
प.प.प.प. ८५०८५४८२४९

अपर जिलाधिकारी  
चम्पावत। १५.१.२०२१

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
चम्पावत।

विषय:-

महोदय,

ग्राम गेंडाखाली नं० १, गेंडाखाली नं० ३ को जोड़ने वाले पुल के निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि के संयुक्त निरीक्षण सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक महोदय के कार्यालय पत्र सं 1578/सात-सि०भूमि० हस्तां०/२०२०-२१ दिनांक

31 दिसम्बर, 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वर्ल्ड बैंक, लोक निर्माण विभाग चम्पावत द्वारा तहसील पूर्णागिरी(टनकपुर) अन्तर्गत ग्राम गेंडाखाली नं० १, गेंडाखाली नं० ३ को जोड़ने वाले पुल के निर्माण हेतु प्रस्तावित राजस्व विभाग की भूमि के हस्तांरण की कार्यवाही के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में संयुक्त निरीक्षण किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि महोदय के निर्देशों के कम में दिनांक 05.01.2021 को प्रश्नगत रथल का संयुक्त निरीक्षण लोक निर्माण विभाग, वन विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया। जिसमें सहायक अभियता लोक निर्माण विभाग टनकपुर, उप प्रभागीय वनाधिकारी शारदा एवं नायब तहसीलदार पूर्णागिरी(टनकपुर) उपस्थित रहे। संयुक्त निरीक्षण में विदित हुआ है कि ग्राम— ग्राम गेंडाखाली नं० १ व ग्राम गेंडाखाली नं० ३ को जोड़ने वाले प्रस्तावित पुल के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग चम्पावत के नाम भूमि, जिसका विवरण निम्नवत है:-

ग्राम का नाम	खसरा नं०	प्रस्तावित क्षेत्रफल	खाता नं०	नाम भूमिघर	भूमि की श्रेणी व प्रकार	मौके की स्थिति
गेंडाखाली नं० १	60	0.004	11	राज्य सरकार	श्रेणी५-३-ख दीगर दरखान	मौके पर भूमि रिक्त है व वन स्वरूप में नहीं है।
	43	0.003	12	राज्य सरकार	श्रेणी५-३-ड अन्य बंजर	मौके पर भूमि रिक्त है व वन स्वरूप में नहीं है।
गेंडाखाली नं० ३	1	0.002	64	राज्य सरकार	श्रेणी६ रोखड़	मौके पर भूमि रिक्त है व वन स्वरूप में नहीं है।
कुल योग:-		0.009				

उक्त भूमि मौके पर रिक्त पड़ी है तथा राज्य सरकार के स्वामित्व की है। उपरोक्त ग्राम गेंडाखाली नं० १ के खसरा नं० 60 मध्ये पुल निर्माण हेतु प्रस्तावित 0.004 हेतु भूमि जो राजस्व अभिलेखों में श्रेणी ५-३-ख दीगर दरखान के तहत दर्ज है। उक्त सम्बन्ध में उत्तराखण्ड शासन, वन अनुभाग-२ के कार्यालय आदेश संख्या 485/ग-२-२०२०-१५(५९)/२०१४ दिनांक 19 फरवरी 2020 के विन्दु (क) से (ग) में निहित प्रावधानों के आलोक में वन विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में स्थलीय निरीक्षण में विदित हुआ है कि ग्राम गेंडाखाली नं० १ के खसरा नं० 60 मध्ये पुल निर्माण हेतु प्रस्तावित 0.004 हेतु भूमि आरक्षित/संरक्षित वन की श्रेणी में नहीं है व वन ही वन स्वरूप में है। शेष भूमि गेंडाखाली नं० १ के खसरा नं० 43 मध्ये रकबा 0.003 हेतु जो राजस्व अभिलेखों में श्रेणी ५-३-ड अन्य बंजर एवं गेंडाखाली नं० ३ के खसरा नं० १ मध्ये 0.002 हेतु राजस्व अभिलेखों में श्रेणी ६-रोखड़, कुल रकबा 0.005 हेतु भूमि राज्य सरकार के स्वामित्व की है जिसमें उत्तराखण्ड शासन, वन अनुभाग-२ के कार्यालय आदेश संख्या 485/ग-२-२०२०-१५(५९)/२०१४ दिनांक 19 फरवरी 2020 के विन्दु (क) से (ग) में निहित प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

तदनुसार आख्या अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सेवा में सादर प्रेषित।  
संलग्न:- यथोपरि।

भवदीय,  
*22-1-21*  
(हिमांशु कफलिया)  
उपजिलाधिकारी,  
पूर्णागिरी(टनकपुर)।